न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : RN/10-2/R/570/96 – विरूद्ध आदेश दिनांक 23-4-1996- पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 402/1995-96 अपील

1- मायादेवी पुत्री रामबालक, ग्राम करोंदी
तहसील अमरपाटनजिला सतना

2- भैयालाल पुत्र भगतराम ग्राम ककलपुर टोला
तहसील अमरपाटन जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- स्वामीदीन पुत्र गजाधरराम

2- रामप्रसन्न 3- रामपाल

4- रामसुख पुत्रगण रामभुवन

सभी ग्राम ककलपुर टोला शाहपुर
तहसील अमरपाटन जिला सतना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 213/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-1-1996 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् जांच एंव कार्यवाही करते हुये दोनों पक्षों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देकर नामान्तरण के आदेश प्रदान किये थे जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी ने मनमाने आधार पर निरस्त किया है। जब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करके अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन में स्पष्ट बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश के लिये तिथि प्रदान नहीं की थी जिसके कारण आदेश पारित होने की जानकारी आवेदकगण को यथासमय नहीं हुई, अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने फिर भी परिसीमा अधिनियम के आवेदन में दिये गये विवरण पर विश्वास न करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 को निरस्त किया जाय एंव निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील का एंव अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 213/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-1-1996 की आवेदकगण द्वारा ली गई प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 213/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-1-1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिनांक 18-3-1996 को आवेदन दिया है एंव उन्हें दिनांक

21-3-1996 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जबकि आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष दिनांक 16-4-1996 को अपील प्रस्तुत की गई है इस प्रकार आवेदकगण द्वारा 21-3-1996 से 16-4-1996 के व्यतीत दिनों का दिन-प्रतिदिन का हिसाब नहीं दिया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये विवरण को पर्याप्त आधारों पर आधारित होना नहीं पाने से अपील अस्वीकार की है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 403/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1996 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर